क्रम-संख्या 128(ड)

रजि० नं० एल डब्लू /एन. पी.

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी० - 41

लाइसेन्स : पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, शुक्रवार, 31 मार्च, 2000 ई०

(चैत्र 11, 1922 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अनुभाग-4

संख्या 44/12-4-99-1715/93

लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2000 ई०

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०--24

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--

भाग एक--प्रारम्भिक

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली, 2000 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2--सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा एक सेवा है जिसमें समूह "ग" और समूह "घ" के पद समाविष्ट हैं ।

3--परिभाषायें--जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में--

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी जिले के ट्रैक्टर के पद के सम्बन्ध में जिले के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) और मानचित्रक, यांत्रिक मानचित्रक और ज्येष्ठ मानचित्रक के पदों के सम्बन्ध में तात्पर्य अपर निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश से है,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी क्रमशः सामान्य संवर्ग और पर्वतीय उप-संवर्ग के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क (1)" और परिशिष्ट "क (2)" में दिया गया है :

परन्तु :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—

(1) ट्रैक्टर—चयन समिति के माध्यम के सीधी भर्ती द्वारा।

(2) मानचित्रक—(एक) अस्सी प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ट्रैक्टरों में से, जिन्होंने इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मानचित्रक के पद पर सीधी भर्ती के लिए नियम 8 में विहित अपेक्षित अर्हतायें रखते हों, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो रिक्तियां भर्ती के पश्चातवर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी।

(3) ज्येष्ठ मानचित्रक—मौलिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) यांत्रिक मानचित्रक—मौलिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ;

भाग-चार-अर्हताएं

7—राष्ट्रीयता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के साथ अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्गम का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और-जंजबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8—शैक्षिक अर्हतायें—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :—

पद	अर्हता
(1) ट्रेसर	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा कला, आलेखन या वाणिज्यिक आलेखन । किसी एक विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
(2) मानचित्रक	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । (ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है :

पद	अर्हता
	(एक) लड़को विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में प्रमाण-पत्र,
	(दो) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र,
	(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में तीन वर्ष का प्रमाण-पत्र,
	(चार) गवर्नमेन्ट आर्ट कालिज, लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा;
	(पांच) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल अभियन्त्रण में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा,
	(छः) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियन्त्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा,
	(सात) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र,
	(आठ) अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में ढाई वर्ष का प्रमाण-पत्र।

9. मानी अर्हता—अन्य बातों से संक्षम होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानित किया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। इस बिन्दु पर नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12--वैवाहिक प्रास्थिति--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13--शारीरिक स्वस्थता--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पांच--भर्ती की प्रक्रिया

14--रिक्तियों का अवधारण--नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित रीति में रिक्तियां अधिसूचित करेगा--

(एक) व्यापक परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/टेलीविजन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके, और

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके ।

15--सीधी भर्ती की प्रक्रिया (1)--सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी .. अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न एक अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायगा .. सदस्य

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायगा । यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायगा .. सदस्य

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद जिसके लिये नियुक्ति की जानी हो, की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायगा .. सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी .. सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से किसी प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्वसुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी

जो इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियत मानक तक आये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को जोड़ा जायेगा।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16--पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी--चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिये गए आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17--संयुक्त चयन सूची--यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशता बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18--नियुक्ति--(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वह यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी तथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट के अनुसार रखा जायेगा।

19--परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

20—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय; और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

21—ज्येष्ठता—किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग—सात—वेतन इत्यादि

22—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
		रुपये
1	ड्रेसर	2750-70-3800-75-4400
2	मानचित्रक	4000-100-6000
3	ज्येष्ठ मानचित्रक	5000-150-8000
4	यांत्रिक मानचित्रक	4500-125-7250

23—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24--दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड--किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग-आठ--अन्य उपबन्ध

25--पक्ष समर्थन--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों से चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

26--अन्य विषयों का विनियमन--ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो, विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

27--सेवा की शर्तों में शिथिलन--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

27--व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट-क (1)--सामान्य संवर्ग

[नियम 4 (2) देखिये]

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	46	96	142
2	मानचित्रक	56	79	135
3	यांत्रिक मानचित्रक	01	—	01
4	ज्येष्ठ मानचित्रक	—	04	04

परिशिष्टक (2)--पर्वतीय उप संवर्ग

[नियम 4 (2) देखिये]

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	ट्रेसर	39	—	39
2	मानचित्रक	27	—	27

आज्ञा से,
केशव देसिराजू,
सचिव ।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 44/12-4-99—1715-93**, dated March 31, 2000:

No. 44/12-4-99—1715-93

March 31, 2000

In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Agriculture Department Drawing Establishment Service.

PART I—*General*

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture Department Drawing Establishment Service Rules, 2000.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service.—The Uttar Pradesh Agriculture Department Drawing Establishment Service is a service comprising Group "C" and Group "D" posts.

3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act, 1994;

(b) "appointing authority' in respect of the post of Tracer of a district means the Deputy Director, Agriculture (Extension) of the district in respect of the posts of Draftsman, Mechanical Draftsman and Senior Draftsman means the Additional Director (Administrative), Agriculture Department, Uttar Pradesh;

(c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(h) "Other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(i) "Service" means the Uttar Pradesh Agriculture Department Drawing Establishment Service;

(j) "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calender year.

4. Cadre of Service.—(1) The strength of service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix 'A(1)' and Appendix 'A(2)' in respect of General Cadre and Hill Sub-Cadre respectively.

Provided that—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

5. **Source of recruitment.**—Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) *Tracer*—By direct recruitment through the Selection Committee.

(2) *Draftsman*—

(i) Eighty percent by direct recruitment through the Selection Committee.

(ii) Twenty percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Tracers who have completed ten years service as such and who possess the requisite qualifications prescribed in rule 8 for direct recruitment to the post of Draftsman on the first day of the year of recruitment:

Provided that if sufficient number of eligible and suitable candidates are not available for promotion. The vacancies shall be carried forward to the subsequent year of recruitment.

(3) *Senior Draftsman*—

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Draftsmen who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(4) *Mechanical Draftsman*—

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Draftsman who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment

6. **Reservation.** — Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Caster, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Act, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

7. **Nationality.**—A candidate for the direct recruitment to a post in service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service a period of one year, shall be subject to his requiring Indian Citizenship.

NOTE.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. **Academic qualification.**—A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following qualifications.

Post	*Qualification*
(1) Tracer	.. Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh with Art, Drawing or Commercial Drawing as one of the subjects or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.
(2) Draftsman	.. (*a*) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto. (*b*) Must possessed any one of the following qulification; (*i*) Certificate of Draftsmanship from Rourkee University; (*ii*) Certificate of Draftsmanship awarded by the State Board of Technical Education, Uttar Pradesh; (*iii*) Three years Certificate in Draftsmanship from Banaras Hindu University; (*iv*) Three years diploma in Architechtural Assistantship awarded by Government art college, Lucknow. (*v*) Three years diploma in Civil engineering awarded by State Board of Technical Education, Uttar Pradesh. (*vi*) Diploma in Civil Engineering awarded by any other institution recognized by the Government; (*vii*) Certificate in Draftmanship awarded by the Government of India Ministry of Labour and employment, National Council for Training in Vocational Trade to the trainees of the Industrial Training Institute run Center by the Labour Department; (*viii*) Two and a half years certificate in Draftsman from Aligarh University.

9. **Preferential qualification.**—A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal, be given a preference in the matter of direct recruitment.

10. **Age.**—A candidate for direct recruitment must have attained the age of eighteen years and must have not attained the age of more than thirty two years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised.

Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. **Character.**—The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status.—A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who be married on man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service ;

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness.—No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be reqired to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III;

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

14. Determination of Vacancies.—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categores under rule 6 for direct recruitment, the appointing authority shall notify the vacancies in the following manner:

(i) by issuing advertisement in daily news paper having wide circulation,

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment news papers, and

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

15. Procedure for direct recruitment.—(1) For the purpose of direct recruitment, there shall be constituted a Selection Commitee comprising ;

(i) Appointing Authority— ..*Chairman.*

(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the appointing authority, if the appointing authoirty does not belong to the Scheduled Castes or Scheuled Tribes, If the appointing authority belongs to the Schedule Castes or Scheduled Tribes an Officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes of citizens shall be nominated by the appointing authority ..*Member.*

(iii) An officer belonging to other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong to the other Backward Classes. If the appointing authority belongs to the other Backward classes an Officer other than other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the appointing authority ..*Member.*

(iv) An officer having adequate knowledge in the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the appointing authority ..*Member.*

(v) An officer nominated by the District Magistrate of the concerned district ..*Member.*

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as on the result of the written examination have come up to the standard fixed by the Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of condidates in order of merit as disclosed by aggregate or marks obtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the condidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Selection Committee shall forword the list to the appointing authority.

16. Procedure for recruitment by promotion. —(1) Recrutment by Promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution Departmental Promotion Committee. For Posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE—Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of Publice Service Commission) Eligiblity List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their Character rolls and such other records, pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the Candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the Cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

17. Combined Select list. — If in any years of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates for the relevant lists in such manner that the perscribed percentage is maintaind, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

18. Appomtment. —(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15, 16, or 17 as the case maybe.

(2) Where, any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appoinment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17.

19. Probation. —(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that in some exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authorty at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made suficient use of this opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien or any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. Confirmation.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(*a*) his work and conduct is reported to be satisfactory, and

(*b*) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servvants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary; the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

21. Seniority.—The Seniority of person substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

22. Scales of pay.—(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories posts of in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as follows ;

Sl. no.	Name of post	Scale of pay
1	Tracer	Rs. 2,750-70-3800-75-4400
2	Draftsman	Rs. 4000-100-6000
3	Senior Draftsman	Rs. 5000-150-8000
4	Mechnical Draftsman	Rs. 4500-125-7250

23. Pay during probation.—(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with affairs of the State.

24. Criterion for Crossing efficiency bar.—No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

25. Canvassing.—No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters.—In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxation from the condition of service.—Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

28. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be prohvided for the candidates belonging to special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX-A (1): GENERAL CADRE

[*See rule 4 (2)*]

Sl. no.	Name of the post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5
1	Tracer	46	96	142
2	Draftsman	56	79	135
3	Mechanical Draftsman	1	—	1
4	Senior Draftsman	—	4	4

APPENDIX-A (2): HILL SUB-CADRE

[*See rule 4 (2)*]

Sl. no.	Name of the post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5
1	Tracer	39	—	39
2	Draftsman	27	—	27

Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh with Art, Drawing or Commercial Drawing as one of the subjects or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

By Order,
KESHAV DESIRAJU,
Secretary

पी० एस० यू० पी०—9 असाधारण गजट—7-7-2000—1597 (मोनो)